<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ जमुई</u>
<u>सत्र वाद संख्या–365 / 2013</u>
<u>जमुई थाना कांड संख्या–5 / 2013</u>
प्राथमिकी अंतर्गत धारा–120बी, 302, 201, 34 भा.द.वि.

उदय यादव
बनाम
बिहार सरकार

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता – श्री परमानन्द यादव पैनल, अधिवक्ता, जि0वि0सेवा प्राधिकार, जमुई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक – श्री चन्द्रभानु सिंह।

उपस्थित– धीरेन्द्र बहादुर सिंह,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ, जमुई।
दिनांक–20 वीं जुलाई, 2023.

<u>आदेश</u>

<u>20.07.2023.</u> 1. आवेदक / अभियुक्त उदय यादव पिता–अर्जुन यादव निवासी ग्राम–लाखीचक थाना–किउल, जिला–जमुई की ओर से दिनांक–07.03.2023 को दाखिल नियमित जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दे दी गई है। आवेदक / अभियुक्त दिनांक–25.01.2021 से काराधीन है।

2. उभय पक्षों को सुना।

3. जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है। आवेदक द्वारा इस जमानत आवेदन के पूर्व किसी भी न्यायालय में कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध अन्य छः केस लंबित हैं। आगे वे यह निवेदन करते हैं कि आवेदक के विरूद्ध कोई भी विधिक साक्ष्य नहीं है। आवेदक लम्बे समय से काराधीन है। वाद में आरोप का गठन हो चुका है तथा कोई प्रगति नहीं हो रही है। वे यह भी निवेदन करते है कि अन्य अभियुक्तगण जमानत पर है। वे यह भी निवेदन करते हैं कि आरक्षी अधीक्षक, लखीसराय से आपराधिक इतिहास की मांग की गई थी जो अप्राप्त है तथा उनकी जानकारी के अनुसार जो आपराधिक इतिहास है उसका विवरण दिया जा चुका है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का प्रवल विरोध करते

हैं तथा वे यह निवेदन करते हैं कि आवेदक का लम्बा आपराधिक इतिहास है तथा वह एक सजायाफ्ता है। वे यह भी निवेदन करते हैं कि आवेदक पर मृतक का गला रेतकर हत्या करने का आरोप है। अतः आवेदक का नियमित जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

5. प्राथमिकी सूचक शंकर पासवान का अपने फर्दब्यान में संक्षेप कथन है कि दिनांक–09.01.2013 को सुबह 5 बजे सूचक को अफवाही सूचना मिली कि किउल नदी में एक पुरूष का शव है। जब वह किउल नदी आया जहां कुछ व्यक्ति गढ्ढे में रखा शव को देख रहे थे जिसका गला रेता हुआ तथा मुंह के नीचे का जबड़ा नहीं था जो मृत अवस्था में सर पश्चिम, पैर–पुरब अवस्था में पड़ा हुआ था जो मटमैला रंग का जैकेट ब्लू चेकदार साहा शर्ट, मटमैला धारीदार भूरा फुल पैंट तथा दोनों पैर में काला रंग का धारीदार मौजा पहने हुए था। शव देख रहे आस पास के लोगों से पूछताछ करने पर किसी ने शव को पहचानने की बात नहीं बतायी। मृतक की उम्र 30 वर्ष का पुरूष है। शव के निरीक्षण के क्रम मं पैंट के दाहिने पॉकेट से एक कागज का पूर्जा जिसपर कलम से महेन्द्र राम तथा मोबाईल नं0–9631406205 लिखा हुआ था। सूचक द्वारा दिये गये फर्दबयान के आधार पर अज्ञात अपराधियों के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा–302, 301, 34 के अपराध हेतु जमुई थाना कांड संख्या–05/13 दिनांक–09.01.2013 को संस्थित किया गया।

6. उभय पक्षों को सुनने एवं प्राथमिकी तथा वाद दैनिकी के पैरा नं0–1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 27, 36, 38, 54, 89, 97 तथा पूरक वाद दैनिकी पैरा नं0–5, 92, 111, 112 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के विरूद्ध मृतक की गला रेत कर हत्या करने का आरोप है जो कि आपराधिक घटनाओं में आवेदक का साथी ही था। आवेदक का लम्बा आपराधिक इतिहास है जो निम्नवत है–

क. लखीसराय(चानन) थाना कांड संख्या–565/2009, अंतर्गत धारा–364ए भा.द.वि. परिवर्तित धारा–302 भा.द.वि.।

ख. चानन थाना कांड संख्या–14/2014, अंतर्गत धारा–341, 504, 506, 307, 34 भा.द.वि.

ग. चानन थाना कांड संख्या–101/2014, अंतर्गत धारा–395, 414 भा.द.वि.

घ. चानन थाना कांड संख्या–61/2014, अंतर्गत धारा–341, 323, 307, 34 भा.द.वि. एवं 27 शस्त्र अधिनियम।

ड. चानन (किउल) थाना कांड संख्या–35/2014, अंतर्गत धारा–395, 412 भा.द.वि.

च. चानन थाना कांड संख्या–128/2017, अंतर्गत धारा–379, 34 भा.द.वि. एवं 75

बिहार लघु खनिज अधिनियम 2017 एवं इसके अलावा दो केस जमुई, जिले में लंबित है। इस प्रकार आवेदक एक आदतन अपराधी प्रतीत होता है। वाद दैनिकी की कंडिका—112 के अनुसार आवेदक चानन थाना कांड संख्या—565/2009 में दोष सिद्ध हो चुका है तथा उसे आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।

इस प्रकार आवेदक के विरूद्ध मृतक की गला रेतकर हत्या करने का आरोप है। आवेदक का लम्बा आपराधिक इतिहास है। आवेदक को पूर्व में हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।अतः आवेदक का नियमित जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ
जमुई।

web copy